रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27052023-246129
SG-DL-E-27052023-246129

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2023/ज्येष्ठ 5, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 164]	DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2023/ JYAISHTHA 5, 1945	[N. C. T. D. No. 77

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मई, 2023

फा. सं. 1/05/155/2022–यूटीसीएस (प्रशा0)/4405–09.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59/एचआईएम(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय, यूटीसीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'कैंटीन परिचारक' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–

   (i) इन नियमों को कैंटीन परिचारक भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	कैंटीन परिचारक
2.	**पदों की संख्या**	:	1* (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा , समूह –ग, अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर –1 (18000–56900/–रू.)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं ।
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्षों तक शिथिलनीय) **टिप्पणी** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जा रहा है तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	2 (दो) वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /विलयन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. प्रधान सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष 2. निदेशक (यूटीसीएस) – सदस्य 3. सहायक निदेशक, (प्रशा0) यूटीसीएस– सदस्य 4. उप–सचिव (वित्त) – सदस्य **टिप्पणी** :– यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

विवेक पांडे, निदेशक, यूटीसीएस/विभाग प्रमुख

DIRECTORATE OF TRAINING

NOTIFICATION

Delhi, the 25th May, 2023

F. No. 1/05/155/2022-UTCS (Admn.)/4405-09.—In exercise of the power conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification no. F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of **"Canteen Attendant"** in Directorate of Training, UTCS, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely: -

1. **Short title and commencement**- (i) These rules may be called the Canteen Attendant Recruitment Rules, 2023 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, its classification and level in the pay matrix** - The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications** - No person -

(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving** - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	Canteen Attendant.
2.	Number of Posts	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level 1 (Rs. 18000-56900/-) in the Pay Matrix
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Not Applicable.
6.	Age Limit for direct recruits	**Between 18-25 years*** (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the limit would be between 18 years and 27 years.
7.	Education and other qualification required for direct recruits	**Matriculation or Equivalent.**
8.	Whether age/education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Two Years
10.	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption/grades from which promotion/ deputation/ absorption is to be made	Not Applicable
12.	If a DPC exists, what is the	**Group-'C' Departmental Confirmation Committee for**

	composition	**considering confirmation: -** 1. Principal Secretary (Power) -**CHAIRMAN** 2. Director (UTCS) - **MEMBER** 3. Asstt. Director (Admn.), UTCS - **MEMBER** 4. Dy. Secretary (Finance) - **MEMBER** **Note**: Senior most member of the Departmental confirmation committee shall act as chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
The National Capital Territory of Delhi,

VIVEK PANDEY, Director, Utcs/Head of Department

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA